डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

लता कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

वादीया

बनाम

1. श्रीमति मीना कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. रामसिंह पुत्र जगन मीना
3. कादू पुत्र जगन मीना
4. नवलराम पुत्र घमण्डी मीना
5. रामदयाल पुत्र घमण्डी मीना

   निवासीयान टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत डिवीजन ऑफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53

मु0न0 11/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब मुदई रूबरू श्री विजय भारती एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादीया लता कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा को ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की आराजी ख0न0 2440/1 रकवा 0.1133 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज_______ मुबलिग_________ बाबत_________ खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह_______ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक______ अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.11.2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर

ओहदा टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प दाखल सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 11/19 तारीख रजू:– 21.01.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

लता कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

वादीया

बनाम

1. श्रीमति मीना कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. रामसिंह पुत्र जगन मीना
3. काडू पुत्र जगन मीना
4. नवलराम पुत्र घमण्डी मीना
5. रामदयाल पुत्र धमण्डी मीना
   निवासीयान टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53
उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)
श्री विजय भारती एडवोकेट (प्रतिवादी 4,5)

निर्णय दिनांक:– 26.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि टोडाभीम 11 बिस्वा की आराजी ख0न0 2440/0.34 है0 मे वादीया हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड मे भी 1/3 हिस्सा दर्ज है बकिया हिस्सा के प्रतिवादीगण सहखातेदार है। सोमोती बेवा धमण्डी की मृत्यु हो चुकी है। उसके पुत्र प्रतिवादीगण नवलराम, रामदयाल पहले से ही पक्षकार व खातेदार है। उक्त वर्णित आराजी मे वादीया का 1/3 हिस्सा मौके पर अलग से है वादीया की यह भूमि टोडाभीम से गाजीपुर रोड के सहारे है। चारो तरफ से पक्की बाउन्ड्री वाल हो रही है तथा लता के नाम से निजी बोर्ड लगा हुआ है वादीया के इस हिस्से से प्रतिवादीगण सहखातेदारी मे दर्ज है। भूमि को रूपान्तरण आदि कराने मे काफी परेशानी रहती है। इसलिये वादीया ने दिनांक 9.1.2019 को प्रतिवादीगण से कहा कि तहसील टोडाभीम मे चलकर अपनी हिस्से व कब्जानुसार अलग खाता कायम करा लेते है। वे इन्कार हो गये है। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 5 बावत डिवीजन ऑफ होल्डिग डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 2440 रकबा 0.34 है0 टोडाभीम 11 बिस्वा मे वादीया का हिस्सा 1/3 का मुताबिक कब्जा वादीया अलग खाता कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीन0 1, 2, 3, 6, बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी न0 4 व 5 की ओर से श्री

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

नकल नक्शा स्य कब्ज़ा ... 11 बिस्वा

विजय भारती एडवोकेट उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि सोमोती वेवा घमण्डी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा तकास्मा का होने के कारण वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 2440/0.34 है0 स्थित ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा मे वादीया का 1/3 हिस्से का अलग खाता कायम कराने का कथन किया प्रतिवादी वकील ने सोमोती की मृत्यु होने के पश्चात उनके सम्पूर्ण वारिसान को पक्षकार नही बनाने के कारण दावा खारिज करने का कथन किया। वादी वकील ने घमण्डी के वारिसान को वादपत्र मे पक्षकार बनाने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 855 की आराजी ख0न0 2440/0.34 है0 मे वादीया लता कुमारी हिस्सा 1/3 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन कर दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

अतः वादीया लता कुमारी पुत्री जवाहरलाल मीना निवासी सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा को ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की आराजी ख0न0 2440/1 रकवा 0.1133 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारान का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

26/11/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: